शोध मंथन Vol. XIII No.II Apr.-June 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

देवबंद दारुल उलूम का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदानः 1920 से 1947 ईस्वी के विशेष संदर्भ में

प्राप्तिः 18.05.2022
स्वीकृतः 08.06.2022

47

डा० शशि नौटियाल
एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग
जे०वी० जैन कॉलेज
सहारनपुर (उ०प्र०)
ईमेलः *shashijvjc@gmail.com*

वसीम चौधरी
सीनियर रिसर्च फैलो, इतिहास विभाग
जे०वी० जैन कॉलेज
सहारनपुर (उ०प्र०)
ईमेलः *vaseemc25@gmail.com*

सारांश

भारत का स्वतंत्रता आंदोलन वस्तुतः एक व्यापक धारा थी। जिसमें अनेक उपधाराओं का समावेश था। उन सबके सामूहिक योगदान से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अत्यंत विशाल, अत्यंत परिपक्व व अत्यंत व्यापक हो पाया। उनमें से एक प्रमुख धारा देवबंद दारुल उलूम की रही। जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अनेक स्तरों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वस्तुतः 1920 ईस्वी के बाद गांधी जी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की ''फूट डालो और राज करो'' की नीति का प्रत्युत्तर देने के लिए संयुक्त राष्ट्रीयता का विचार अधिक लोकप्रिय किया गया। जिसके क्रियान्वयन में उन्होंने हिंदू–मुस्लिम द्वारा ब्रिटिश राष्ट्र सत्ता के विरुद्ध संयुक्त प्रयासों की भूमिका को अपनाया। उस आंदोलन में देवबंद दारुल उलूम ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सांप्रदायिक आधार से ऊपर उठकर समर्थन दिया, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन योगदानों को हम निम्नांकित शोधपत्र में रेखांकित करने का प्रयास करेंगे।

मुख्य बिन्दु

दारुल उलूम, भौगोलिक स्वायत्तता, फतवा, मुस्लिम लीग, जमीयत उलेमा–ए–हिंद, औपनिवेशिक हित, संयुक्त राष्ट्रीयता।

देवबंद मदरसे ने 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से कांग्रेस और खिलाफत समिति द्वारा लाए गए खिलाफत–असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। इलाहाबाद, मुंबई, मद्रास व अन्य स्थानों पर खिलाफत सभाएं हुई। मौलाना महमूद उल हसन[1] ने मौलाना हुसैन मदनी[2] के साथ संयुक्त प्रांत में सभाएं की। मुसलमानों को सरकार द्वारा समर्थित स्कूलों को छोड़ने, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने, सरकारी उपाधियों को वापस करने और केवल भारतीय सामानों का उपयोग करने की सलाह देते हुए एक फतवा जारी किया।[3] 1919 ईस्वी की सुधार परिषद अधिनियम द्वारा स्थापित परिषदों में भाग लेने से मना किया और मुसलमानों को खिलाफत–कांग्रेस के नेतृत्व का पालन करने एवं असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए काम करने की अपील की।[4] इससे प्रभावित होकर अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने कॉलेज से अपना संबंध विच्छेद कर मौलाना महमूद

उल हसन के सहयोग से एक राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया विद्यालय अलीगढ़ में 26 अक्टूबर 1920 ईस्वी में स्थापित किया।[5] मौलाना महमूद उल हसन ने 1920 ईस्वी में जमीयत उलेमा–ए–हिंद[6] के दिल्ली में आयोजित द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुसलमानों के धार्मिक नेताओं से कहा आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि अगर इससे विपरीत परिस्थितियां (एकता का अभाव) होंगी तो उससे भारत की स्वाधीनता का स्वप्न कभी भी सच नहीं हो पाएगा। नौकरशाही का शिकंजा दिन प्रतिदिन और कसता जाएगा। इसलिए भारत के दोनों संप्रदाय और बहादुर सिख यह तीनों मित्रता और शांति से रहेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई चौथी कौम वह चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो कैसे अपनी हिंसा और निरंकुश शासन द्वारा भारतीयों के समान आदर्शों को परास्त कर सकती है।[7]

जुलाई 1920 ईस्वी में खिलाफत समिति के कराची सम्मेलन में मौलाना मदनी के प्रस्ताव को खिलाफत समिति के प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया।[8] जिसमें स्पष्ट कहा गया कि तत्कालीन परिस्थितियों में एक मुसलमान के लिए ब्रिटिश सेना में बने रहना या प्रवेश करना अथवा दूसरों को शामिल होने के लिए प्रेरित करना हर तरह से धार्मिक रुप से अनुचित है।[9] सरकार ने इस प्रस्ताव की प्रतियों को जब्त कर लिया और सम्मेलन के प्रमुख व्यक्तियों मौलाना मदनी, निसार अहमद, मोहम्मद अली, शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू एवं श्री शंकराचार्य को साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।[10] 1926 ईस्वी में जमीयत उलेमा–ए–हिंद ने अपने कोलकाता सम्मेलन में ब्रिटिश शासन से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा की। 30 दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का सर्मथन किया।[11] 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना रहमान, मौलाना फखरुद्दीन, मौलाना सैयद सहित जमीयत के अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया।[12]

ब्रिटिश सरकार ने 1936 ईस्वी में सभी प्रांतों में चुनाव की घोषणा की। कांग्रेस, जमीयत उलेमा–ए–हिंद और अन्य मुस्लिम पार्टियों ने इस आधार पर मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया कि यह उनके राष्ट्रवादी कारणों को भी साझा करता है। जिन्ना ने देवबंद नेतृत्वकर्ताओं को आश्वस्त किया कि, राज्य विधानसभा में सभी मामलों के संबंध में मुस्लिम लीग कांग्रेस का समर्थन करेगी। यह निश्चित रूप से देश की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण दिशा हो सकती थी।[13] चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। कांग्रेस ने प्रस्ताव अस्वीकार करने पर मुस्लिम लीग ने कांग्रेसी प्रांतीय सरकारों पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाकर 'भौगोलिक स्वायत्तता' की मांग की। मुस्लिम लीग की भौगोलिक स्वायत्तता की मांग पर जमीयत उलेमा–ए–हिंद विरोध कर अलग हो गई। देवबंद नेतृत्व ने कांग्रेस के साथ में संयुक्त रूप से काम करने पर बल दिया।[14]

1939 ईस्वी, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से परामर्श किए बिना ही युद्ध में मित्र राष्ट्रों का समर्थन कर दिया। 16 सितंबर 1939 ईस्वी में जमीयत उलेमा–ए–हिंद की कार्यसमिति ने युद्ध में भारत को शामिल करने का विरोध किया। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने विरोध में मंत्री–परिषद से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इसे 'मुक्ति दिवस' के रुप में मनाया।[15] जिन्ना ने 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय मुस्लिम सिर्फ एक धार्मिक समुदाय नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट राष्ट्र का भी निर्माण करते

हैं। भारत की समस्या अंतर–सामुदायिक नहीं है, वरन् यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और यह एक आपदा का रूप भी ले सकती है। यदि ब्रिटिश सरकार वास्तव में इस उपमहाद्वीप के निवासियों के लिए शांति और खुशहाली को सुनिश्चित करना चाहती है, तो हम सबके पास सिर्फ यही रास्ता है कि भारत को 'स्वायत्तता राष्ट्रीय राज्य' में विभाजित करके प्रमुख राष्ट्रों को अलग–अलग देश उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत प्रतिपादित कर मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग रख दी।[16]

जमीयत उलेमा–ए–हिंद ने मुस्लिम लीग को छोड़कर अन्य सभी मुस्लिम संगठनों की अप्रैल 1940 ईस्वी में एक बैठक में लाहौर घोषणा का विरोध किया और भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत मुसलमानों के सांस्कृतिक व धार्मिक हितों की रक्षा करने का प्रस्ताव पारित किया।[17] उनके अनुसार दो पृथक राज्यों के निर्माण मुसलमानों के लिए अधिक हानिकारक था। भारत के विभाजन से दोनों देशों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। जिससे अन्य राष्ट्रों के हस्तक्षेप का सामना करने की क्षमता घट जाएगी। पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय संघ के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हित पूर्ण सुरक्षित होंगे।[18] मौलाना मदनी ने जमीयत उलेमा–ए–हिंद के जून 1940 के अधिवेशन में कहा कि ''हम भारतवासी, जब तक भारतीय हैं, एक बात में समान हैं और वह है हमारी भारतीयता, जो हमारे धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों के बीच अपरिवर्तित रहती है। कांग्रेस, जिसका विचार भी हमारे जैसा ही है ने सभी धर्मों की रक्षा के लिए अपने मूल सिद्धांत बनाए हैं।[19]

मुस्लिम लीग ने 1943 ईस्वी में कराची में ''बांटो और जाओ'' का प्रस्ताव पारित किया। 1944 ईस्वी में वेवेल योजना पर विचार करने के लिए शिमला में एक बैठक हुई। जो मुस्लिम लीग और जिन्ना के कारण असफल रही। जिन्ना ने कहा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति के लिए मुस्लिम सदस्यों का नाम प्रस्तावित करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को है। देवबन्द एवं अन्य मुस्लिम राष्ट्रवादी समूहों ने सरकार को कहा कि जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता नहीं हैं। मुस्लिम लीग का मुस्लिम अभिजात वर्ग एवं जमीदारों में अधिक समर्थन है लेकिन वह मुस्लिम बहुसंख्यक वर्ग जिनमें किसान व मजदूर वर्ग सम्मिलित था की आवाज नहीं हैं।[20] कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में मौलाना मदनी राष्ट्रवादी मुसलमानों की ओर से वार्ताकार थे। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में मुस्लिम लीग की जीत के संबंध में कैबिनेट मिशन से कहा कि चुनाव परिणाम भ्रामक हैं। क्योंकि मुस्लिमों की बहुसंख्यक जनसंख्या के पास वोट ही नहीं था।[21] मौलाना मदनी ने कैबिनेट मिशन के सामने एक प्रस्ताव में केंद्रीय विधानसभा में हिंदू–मुस्लिम समानता, राज्यों की स्वायत्तता और पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति प्रस्तुत किया। मौलाना मदनी के अनुसार यह योजना एक तरह से भारत के विभाजन को रोकने के लिए अंतिम अवसर के रूप में वर्णित की गई थी जो असफल रही।[22]

निष्कर्ष

देवबंद दारुल उलूम का इसके संस्थापक सदस्य मौलाना कासिम नानोतवी के काल से ही विश्वास रहा कि, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए हानिकारक है। इस संदर्भ में हमें यहां यह बात रेखांकित करनी है कि, सर सैयद अहमद खां जो भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा मुस्लिम हितपूर्ति का सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे थे उनसे यह पूर्णतः भिन्न था। अतः आरंभ से ही ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध करने का मूल विचार देवबंद दारुल उलूम के संगठनात्मक प्रारूप में बना रहा था।

परिवर्तित कालों में यह और अधिक विकसित होता चला गया। वहीं रेशमी रुमाल षडयंत्र के द्वारा भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का एक प्रयास जो पूर्णतया सफल नहीं हो पाया, भी इनके द्वारा किया गया था। इसमें मौलाना महमूद उल हसन को माल्टा का कैदी बनाकर बंद किया गया। उन्होंने मुस्लिम जनमानस को प्रेरणा देते हुए ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध उनमें जनमत बनाने का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया था और मुसलमानों को यह संदेश दिया कि, अंग्रेजों की गुलामी इनके लिए उचित नही है, इसके विरूद्ध भारत में हिंदू–मुस्लिम एक साथ रहकर संयुक्त राष्ट्रीयता के साथ अधिक बेहतर विकास कर पाएंगे। तो आरम्भ से ही संयुक्त राष्ट्रीयता के विचार पर सहमति, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शासन के प्रति अस्वीकृति, इनके भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन को दो महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान रहे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वस्तुतः एक महत्वपूर्ण चुनौती हिंदू मुस्लिम दोनों समूहों को एक ही साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लामबंद करना था। जिसमें कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा कार्य कर रखे थे। वहीं देवबंद दारुल उलूम ने बराबर की सहभागिता कर, मुस्लिमों में भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन का आधार व्यापक करने का प्रयास किया। यहां यह महत्वपूर्ण है कि उस समय भारत में सांप्रदायिकता एवं अंग्रेजो के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के चलते हिंदू–मुस्लिमों में दूरी बढ़ाने के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे थे। परंतु देवबंद दारुल उलूम सदैव हिदूं–मुस्लिम एकता, संयुक्त राष्ट्रीयता एवं भारत की आजादी की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर दृढ़ रहा।

संदर्भ

1. मौलाना महमूद उल हसन का जन्म 1851 ई0 में बरेली में मौलाना जुल्फक्कार अली के यहाँ हुआ था। ये दारुल उलूम देवबंद मदरसे के प्रथम छात्र थे बाद में प्रधानाध्यापक और संरक्षक रहे।
2. मौलाना हुसैन मदनी का जन्म 1879 ई0 में टांडा जिला फैजाबाद में सैय्यद हबीबुल्लाह के परिवार में हुआ था। ये मौलाना महमूद उल हसन के शिश्य थे जो बाद में देवबंद मदरसे के प्रधानाध्यापक भी रहे।
3. मदनी, मौलाना., इस्लाम, शेखुल. (1953). नक्श–ऐ–हयात, भाग 2. मकतबा दुनियाः देवबंद. पृष्ठ **257.**
4. मेटकाफ, बारबार डी. (2009). मदनी हुसैन अहमद. वनवर्ड पब्लिकेशनः इंग्लैंड. पृष्ठ **77–79.**
5. बंसल, रतनलाल. (1947). रेशमी पत्रो का शड़यंत्र. विनोद पुस्तक मन्दिरः आगरा पृष्ठ **211–212.**
6. जमीयत उलेमा–ए–हिंद की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी परन्तु असहयोग और खिलाफत आंदोलन के स्थगित होने के बाद इस पर देवबंद उलेमाओं का आधिक्य हो गया था।
7. मदनी, मौलाना हुसैन., इस्लाम, शेखुल. (1953). नक्श–ऐ–हयात, भाग 2. मकतबा दुनियाः देवबंद. पृष्ठ **78–79.**
8. मदनी, मौलाना हुसैन., इस्लाम, शेखुल. (1953). नक्श–ऐ–हयात, भाग 2. मकतबा दुनियाः देवबंद. पृष्ठ **80.**

9. अख्तर, रफीक. (1971). हिस्टोरिक ट्रायल, मौलाना मुहम्मद अली एण्ड अदर कराची, ईस्ट एण्ड वेस्ट पब्लिशिंग कम्पनीः पृष्ठ **112–113.**
10. मेटकाफ, बारबार डी. (2009). हुसैन अहमद मदनी. वनवर्ड पब्लिकेशनः इग्लैंड. पृष्ठ **81–83.**
11. मेटकाफ, बारबार डी. (2009). हुसैन अहमद मदनी. वनवर्ड पब्लिकेशनः इग्लैंड. पृष्ठ **86–87.**
12. सलमान, मौ. (2006). तहरीर आजादी ए हिंद में मुस्लिम उलेमा और आवाम का किरदार. मकतबा शाह वल्लीउल्लाहः दिल्ली. पृष्ठ **99.**
13. हसन, तारिक. (2015). कोलोनिएलिज्म एण्ड द कॉल टू जिहाद इन ब्रिटिश इण्डिया. सेग पब्लिकेशनः नई दिल्ली. पृष्ठ **161.**
14. प्रधान, रामचन्द्र. (2013). राज से स्वराज. मैकमिलन पब्लिशर इण्डिया लिमिटेडः गुड़गांव. पृष्ठ **407–408.**
15. देसाई, ए. आर. (2018). भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि. सेज पब्लिकेशनः नई दिल्ली. पृष्ठ **261.**
16. प्रधान, रामचन्द्र. (2013). राज से स्वराज. मैकमिलन पब्लिशर इण्डिया लिमिटेडः गुड़गांवः पृष्ठ **408.**
17. अहमद, सैयद तुफैल. (1946). रूहाने ए रोशन मुस्तकबिल. निजामी प्रेसः बदायूं. पृष्ठ **46.**
18. मदनी, हुसैन अहमद. (1954). मकतूबात–ए–शेखुल–इस्लाम, भाग 2. मकतबा दुनियाः देवबंद. पृष्ठ **121–122.**
19. मियां, सैयद मुहम्मद. (1948). उलेमा–ए–हक, भाग 2. वली प्रिटिंगः दिल्ली. पृष्ठ **137–138.**
20. हसन, तारिक. (2015). कोलोनिएलिज्म एण्ड द कॉल टू जिहाद इन ब्रिटिश इण्डिया. सेग पब्लिकेशनः नई दिल्ली. पृष्ठ **172–173.**
21. मेटकाफ, बारबार डी. (2009). हुसैन अहमद मदनी. वनवर्ड पब्लिकेशनः इग्लैंड. पृष्ठ **143.**
22. हसन, तारिक. (2015). कोलोनिएलिज्म एण्ड द कॉल टू जिहाद इन ब्रिटिश इण्डिया. सेग पब्लिकेशनः नई दिल्ली. पृष्ठ **173.**